उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division,Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle
Colony Ghazipur
Pin 233002

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@upptcl.org

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड, गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक. 488 वि0प्रे0खं–(गा0)/ दिनांक. 19.03.2021

विषयः–400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS /32650/2018) में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वनप्रभाग
सोनभद्र

सन्दर्भ–1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1698/11–सी0FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021
2. आपके कार्यालय पत्रांक 2061 /सोनभद्र /33 दिनांक–08.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के बिन्दू सं0 06 जो कि दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि की देयता के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र से सम्बन्धित है, जिसके क्रम में इस कार्यालय पत्रांक 991 वि0प्रे0ख0–।।(वा0)/दिनांक–15.07.2020 तथा पत्रांक 165 वि0प्रे0खं0(गा0)/दिनांक–01.02.2021 जो मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर को सम्बोधित एंव आप सहित अन्य को पृष्ठांकित है, के द्वारा प्रस्ताव मे दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु आग्रह किया गया था, क्योकि लीज समाप्ति के तत्पश्चात लीज नवीनीकरण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 320 वि0प्रे0खं0–।। (वा0) दिनांक 14.03.2014 द्वारा आपके कार्यालय मे जमा कर दिया गया था (प्रति संलग्न) किन्तु किसी कारणवश लीज नवीनीकरण नही हो सका । पुनः लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को इस कार्यालय के पत्रांक 1153 वि0प्रे0खं0–।। (वा0) दिनांक 24.11.2016 द्वारा आपके कार्यालय में जमा कराया गया (पत्र संलग्न) किन्तु आन लाइन डाटा इण्ट्री न होने के कारण प्रस्ताव पूर्ण नही हो सका। दिनांक 22.03.2018 को आन लाइन डाटा इण्ट्री के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 3309 वि0प्रे0खं–।। (वा0) दिनांक 27.08.2018 द्वारा पुनः लीज नवीनीकरण प्रस्ताव आपके कार्यालय में जमा करा दिया गया (पत्र संलग्न) तथा आपके कार्यालय से मिलकर प्रस्ताव को शीघ्र पूर्ण करने की कोशिश की गयी । अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा न तो वन सम्पदा को कभी भी कोई हानि पहुचाया गया और न ही भारत सरकार /उ0प्र0 सरकार व आप द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध कोई कार्य किया गया और न ही भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018 के किसी बिन्दु का प्रस्तावक विभाग द्वारा उल्लंघन किया गया है और समय–समय पर वन प्रभाग के मॉग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट भी जमा किया जाता रहा है। जिस कारण उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मे दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि की देयता नही बनती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगायी जाये तथा प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों एवं कमियों को दूर कर प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

संलग्नक–यथापरोक्त

पत्रांक. वि0प्रे0खं0–(गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
2. मुख्य अभियन्ता, (पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता